न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी पुष्कर कुमार मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व दावा संख्याः— 121/2015

1. भरतसिंह | जाति जाट निवासी ग्राम कंजौली तहसील
2. देवेन्द्रसिंह पुत्र महाराजसिह | व जिला भरतपुर राज0

..... वादीगण

बनाम्

1. भीमसिंह पुत्र रामशरण जाति जाट निवासी ग्राम कंजौली तहसील व जिला भरतपुर राज0
2. राजस्थान सरकार तामिल जरिये तहसीलदार साहब भरतपुर पैरोकार सरकार

..... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—
1. श्री प्रतापसिंह
अभिभाषक वादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy Not official

निर्णय

दिनांकः— 24.01.2018

दावा वादीगण द्वारा दिनांक 07.07.2015 को यह राजस्व दावा पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण व प्रतिवादी के सम्मलित कब्जे काश्त व हकूक सहखातेदारी में आराजी खसरा नं0 193/21, 268/18, 361/32, 689/19, 690/19, 691/18, 692/15, 701/29, 702/19, 703/18, 704/13, 777/34, 777/789/01, 778/26, 780/59 कुल खसरा 15 कुल रकवा 3.41 हैक्टेयर बांके ग्राम कंजौली तहसील व जिला भरतपुर राजस्थान में स्थित है। जिन पर वादीगण व वहिस्सा बराबर में 1/2 भाग पर प्रत्येक खसरा नं0 में कब्जा काश्त है एवं प्रतिवादी सं0 1 का प्रत्येक खसरा में 1/2 भाग पर मुताबिक हिस्सा

मौके पर कब्जाकाश्त में मौजूद है। दावा की मद नं0 2 में दर्ज आराजी मुतनाजा में से एक किता खसरा नं0 361 रकवा 32 ऐयर जो पुख्ता सड़क के सहारे स्थित है जिसके सड़क के चिपटेमा वाले फ्रन्ट के हिस्सा प्रतिवादी अकेला कब्जा लेना चाहता है जबकि मौके पर सड़क के सहारे दोनो पक्षों का आधे–आधे हिस्से पर पूरी लम्बाई से कब्जा है। परन्तु प्रतिवादी भीम सिह सम्पूर्ण उक्त खसरा नं0 के सड़क के सहारे पूर्ण फ्रन्ट पर पुख्ता तामीर करना बहाता है। जिससे वादीगण असहमत है। इसलिए कागजात पटवार में खसरा नं0 361 रकवा 32 ऐयर का बटवारा सड़क के सहारे फ्रन्ट में से आधा आधा रकवा का बटवारा करता चहाता है। जिससे वादीगण असहमत है। इसलिए कागजात पटवार में खसरा नं0 361 रकवा 32 ऐयर का बटवारा सड़क के सहारे फ्रन्ट में से आधा आधा रकवा का बटवारा करना चाहता है। जैसे कि उन्हे कानूनन अच्छे में से अच्छा व बुरे में से बुरा रकवा प्राप्त करने का हक है। अन्य सभी खसरा नम्बरान का बटवारा मौके पर प्रत्येक खसरा में से आधे–आधे रकवा का हो रहा है एवं मौके पर कब्जा अनुसार ही प्रत्येक खसरा नम्बर की दिशाओं का बटवारा बटा नं0 डालकर कागजात पटवार में करा दिया जाऐं। बिनाय मुखास्मत दावा तारीख 06.07.2015 को खसरा नं0 361 में प्रतिवादी द्वारा सड़क के सहारे वाले हिस्से में पुख्ता तामीर करने की धमकी देने पर पैदा हुई है एवं मद नं0 3 में वर्णित मौके पर कब्जा अनुसार बटवारा की मना करने का विवाद उत्पन्न हुआ है। अतः दावा बिना देरी न्याय की आशा के साथ श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है। प्रतिवादी ने बिना बटवारे हुए आराजी मुतनाजा के किसी भी हिस्सा में पुख्ता तामीर कर ली तो वादीगण को स्पैशल इंजरी होगी एवं व्यर्थ ही वादीगण को अधिकाधिक मुकदमाबाजी में फसना पड़ेगा। अतः वादीगण प्रतिवादीगण भीमसिंह के खिलाफ हुक्म इम्तनाई दवामी व बटवारे की डिग्री प्राप्त करने का अधिकारी है। दावा पर कोर्टफीस व तलवाना नियम अनुसार चस्पा है जो काफी है।

दावा वादीगण पेश कर प्रार्थना है कि दावा वादीगण वाहक वादीगण एवं खिलाफ प्रतिवादी नं0 1 निम्न तारीके से सादिर डिग्री फरमाया जावें।

अ. वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी मुतनाजा का बटवारा प्रत्येक खसरा नं0 में से आदे आदे रकवे के दो अलेदा अलेदा कुरे तहसीलदार भरतपुर द्वारा निर्मित कराकर आराजी मुतनाजा का बटवारा कागजात पटवार में प्रत्येक खसरा नं0 का बटा नं0 डलवाकर किया जावें।

ब. खसरा नं0 361 रकवा 32 ऐयर जो सड़क के सहारे स्थित है उसका बटवारा सड़क के फ्रन्ट की तरफ से आदा आदा करके पूरी लम्बाई में किया जाऐ।

स. प्रतिवादी को हुक्म इम्तनाई दवामी की आज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह खसरा नं0 361 में सड़क के सहारे सम्पूर्ण लम्बाई में कोई पुख्ता तामीर न करे और वादीगण को उनके आदे हिस्से से बेदखल न करें एवं ऐसा कोई फेल न करे जिससे वादीगण के हकूकों पर प्रतिकूल असर पड़े।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी हाल सम्वत 2070–73 पेश की गई। दावा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस सम्मन से तलव किया गया।

दिनांक 25.08.2015 को प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गयी एवं साक्ष्य वादी पेश करने बावत् वादीगण को कई अवसर दिये गये परन्तु साक्ष्य वादी पेश न करने पर 20.04.2017 को साक्ष्य बन्द की गई।

विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 सहकाश्तकार हैं। दावा विभाजन का है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुये है। इसलिए उनके विरूद्ध दिनांक 25.05.2015 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विभाजन के दावे में महत्वपूर्ण तथ्य है कि उभय पक्ष सह काश्तकार है। दावा वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है किः—

दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार भरतपुर स्वयं वादग्रस्त आराजी ख0नं0 193/21, 268/18, 361/32, 689/19, 690/19, 691/18, 692/15, 701/29, 702/19, 703/18, 704/13, 777/34, 777/789/01, 778/26, 780/59 कुल खसरा 15 कुल रकवा 3.41 हैक्टेयर बांके ग्राम कंजौली तहसील व जिला भरतपुर राजस्थान के मौके पर जाकर उभय पक्षों की उपस्थिति में वादग्रस्त आराजी का मीट्स एण्ड वाउन्डस के सिद्धान्त के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये कुरा प्रस्ताव तैयार करें। मृतका सौमोती के विधिक वारिसान की विधिवत जांच उपरान्त सौमोती के हिस्से का अन्तरण उनके विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में कुरा बनते समय करें। पालना हेतु तहसीलदार, भरतपुर को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी करें।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
भरतपुर

निर्णय आज दिनांक 24.01.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official